

**बेसमेन्ट के निर्माण में निकले उपखनिज की निकासी हेतु
अनुमति-पत्र**

1 of 3103

M/S Gulshan Homes And Infrastructure Pvt Ltd Add:-C-23, Greater Kailash Enclave Part-I, New Delhi-110048 के प्लॉट सं०-जी०एच०-०३सी०, सेक्टर-१४४, नोएडा, गौतमबुद्धनगर के प्लॉट के बेसमेन्ट ऐरिया ६४०० वर्गमीटर में निर्माण कार्य प्रस्तावित है, जिसकी कुल गहराई ४.०० मीटर है, सम्भावित प्रथम ३.५० मीटर गहराई तक २२४०० घनमीटर सा० मिट्टी का खनन होगा, जिसकी वर्तमान रायल्टी दर रु० ३०/- प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी अंकन रु० ६,७२,०००/- एवं उसके पश्चात ०.५० मीटर गहराई में ३२०० घ०मी० साधारण बालू का खनन किया जायेगा। जिसकी वर्तमान रायल्टी दर रु० ६५/- प्रति घनमीटर की दर से रायल्टी अंकन रु० २,०८,०००/- है। इस प्रकार कुल धनराशि रु० ८,८०,०००/- को अग्रिम रूप से लेखा शीर्षक ०८५३ अलौह खनन एवं धातुकर्म में जमा कराकर एवं रायल्टी का १० प्रतिशत "Gautam Budh Nagar District Mineral Foundation Trust" व रायल्टी का २ प्रतिशत TCS का भुगतान कर दिया गया है। एतद्वारा जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक २७.०८.२०१७ द्वारा ०३ माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुये उपखनिज हटाने की अनुमति दी जाती है।

भूमि का व्यौरे

कम सं०	तहसील	प्लॉट संख्या	बेसमेन्ट ऐरिया का विवरण
१.		प्लॉट सं०-जी०एच०-०३सी०, सेक्टर-१४४, नोएडा, गौतमबुद्धनगर	उक्त प्लॉट का बेसमेन्ट ऐरिया ६४०० वर्गमीटर भाग में ४.०० मीटर गहराई तक।

स्थान: गौतमबुद्धनगर

दिनांक १३/०९/२०१७ से १२/१२/२०१७ तक

शर्तें

- अनुमति धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।
- अनुमति धारक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक भाग, भवन, भू-गृहादि, सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति तथा वृक्षों पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।
- अनुमति धारक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
- उपखनिज का परिवहन जिलाधिकारी (खनन कार्यालय) द्वारा निर्गत प्रपत्र एमएम-११ पर ही किया जायेगा।
- अनुमति पत्र में निर्धारित मात्रा अथवा अवधि जो भी पूर्व में घटित होगी, तक ही मान्य होगी।
- प्रत्येक ०७ दिन में उपखनिज की निकासी की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
- एमएम-११ की बुको को प्रयोग करने के तुरन्त बाद कार्यालय प्रतिपत्र एवं अवशेष एमएम-११ कार्यालय में जमा करायेगें तथा खनन स्थल से निकलने वाले वाहन खनिज को तिरपाल से ढककर ही शहर के अन्दर परिवहन करें।
- बेसमेन्ट निर्माण के दौरान निकले उपखनिज की निकासी का कार्य सुरक्षात्मक उपाय बेरिकेटिंग आदि लगाकर इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू-भाग अथवा भवन व कार्यरत मजदूरों को हानि न पहुंचे और यदि क्षति होती है तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।
- यदि उपखनिज की निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना तत्काल प्रभाव से जिलाधिकारी को देनी होगी व अन्य उपखनिज की रायल्टी का आंकलन किया जायेगा जो आवेदक को अतिरिक्त रायल्टी के रूप में देना होगा।
- यदि भवन परियोजना के निर्माण हेतु परियोजना स्थल से किये गये उपखनिज का प्रयोग परियोजना में अथवा परियोजना स्थल के बाहर किसी कार्य हेतु किया जाना है तो पर्यावरण निदेशालय, उ०प० के पत्र संख्या २५५७/पर्या०/एस०आई०सी०/साधारण मिट्टी खनन/२०१२ में दिये गये बिन्दु संख्या-५ में दिये गये Safeguards को कड़ाई से अपनाया जाना होगा।
- अनुमतिधारक द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्णय का अनुपालन करते हुए एवं वन भूमि के अन्तर्गत सभी प्रकार के विधिक रूप से मान्यता प्राप्त (स्टेच्यूटरी रिकग्नाईज्ड) वन (चाहे वह आरक्षित या संरक्षित या किसी अन्य नामों (डिजिनेटेड) से हो) क्षेत्रों में खनन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- जिला खनन अधिकारी द्वारा सत्यापन करके यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनिज ले जाने के लिये जारी किये गये रवन्ना का उपयोग स्वीकृत किये गये क्षेत्र से निकाले गये खनिज के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है तथा एक प्रकार के वाहन के लिए किये गये प्रपत्रों का दुरारे प्रकार के वाहनों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिस भू-खण्ड हेतु अनुमति दी जा रही है, उस भू-खण्ड से निर्धारित मात्रा में खनिज निकालने हेतु जारी किये गये रवन्ना का प्रयोग किसी ओर जगह से अवैधानिक रूप से निकाले गये खनिज में किया जाना पाया जाता है तो अविलम्ब उक्त गैर विधिक कार्य करने वालों के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज की जायेगी तथा उक्त वाहन एवं खनिज को सीज किया जायेगा।
- अनुमति देने के उपरान्त निर्धारित अंतराल में तहसील स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा अनिवार्य रूप से हर सप्ताह निरीक्षण किया जायेगा तथा गठित टास्क फोर्स उक्त स्थल पर खनन की जा रही खनिज (Mineral) का प्राथमिक अनुमान लगाकर उक्त मात्रा का अंकन भी करेगी अर्थात् टास्क फोर्स अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त समय समय पर निरीक्षण करते हुए खनन की जा रही मात्रा एवं गहराई की जाँच करेगी तथा यदि अनुमति में दिये गये क्षेत्रफल एवं गहराई की मात्रा से ज्यादा अवैध रूप से खनन किया जा रहा है तो सम्बन्धित अवैध खनन करने वाले अनुमति धारक व अन्य के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायेगी। तथा उक्त को अवैध खनन मानते हुए उक्त खनिज को सीज करते हुए नियमानुसार निस्तारण करेगी।
- शासन द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों के अधीन जिन आवेदन कर्ताओं को अनुमति मिली है उनकी जिम्मेदारी रहेगी कि जितना गहराई तथा जितना मात्रा हेतु खनन अनुमति मिली है और जिस खनिज हेतु अनुमति मिली है उसकी शर्त



For Gulshan Homes And Infrastructure

Shah

Authorised

Shah

प्रतिशत रायल्टी जमा करके नियमानुसार उक्त बेसमेंट की खनिज की निकासी करेगा इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति अधिकारी/कर्मचारी द्वारा या किसी अन्य द्वारा किसी तरह का दबाव या धन उगाही या गुंडा टैक्स जैसी अवैध वसूली की जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति/अनुमति धारक द्वारा खनन अधिकारी को तत्काल सूचित किया जायेगा उक्त सूचना या स्वयं द्वारा किये जा रहे निरंतर निरीक्षण के आधार पर खनन अधिकारी द्वारा अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। अगर खान अधिकारी द्वारा उक्त आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है तो अनुमति धारक द्वारा स्वयं या प्रभारी अधिकारी खनन के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी उक्त प्राथमिकी दर्ज कर उसपर अविलम्ब आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित थानाध्यक्ष की होगी।

15. अनुमति धारक द्वारा सम्बन्धित भूखण्ड से निकाली गयी खनिज का परिवहन जिन वाहनों द्वारा किया जायेगा उनका विवरण सम्बन्धित भूखण्ड स्वामी द्वारा प्रमाणित रजिस्टर में मैन्टेन किया जायेगा जिसका निरीक्षण समय समय पर टास्क फोर्स एवं खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के पत्र संख्या 904/एस0टी0-डी0एम0/2014 दिनांक 25.3.2014 एवं पत्र संख्या 910/एस0टी0-डी0एम0/2014 दिनांक 29.3.2014 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. अनुमति धारक का यह मूल दायित्व होगा कि वह अपने द्वारा योजित किये जाने वाले कर्मचारियों का चरित्र सत्यापित करायेगा तथा किसी भी अपराधिक व्यक्ति को इस कार्य में योजित नहीं करेगा।
17. अनुमति धारक का यह भी दायित्व होगा कि यदि उनके द्वारा योजित कोई कर्मचारी कोई वृटि या शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तब ऐसे कर्मचारी का कृत्य ठेकेदार का कृत्य समझा जायेगा और अनुमति पत्र की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर उनके विरुद्ध नियमानुसार उक्त शर्तों का उल्लंघन से सम्बन्धित प्रचलित विधियों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।



18. यदि अनुमति धारक अनुमति पत्र में दी गई शर्तों के अनुरूप कार्य न करके, शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुमति पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। उपखनिजों के परिवहन का ठीक लेखा-जोख (यथा वाहन संख्या, उपखनिज का नाम, मात्रा एवं गन्तव्य स्थान) खनन स्थल पर पंजिका (रजिस्टर) में दर्ज किया जायेगा तथा आकस्मिक निरीक्षण के समय खनन अनुज्ञा पत्र धारक को उपलब्ध हेतु उपलब्ध कराया जाये।

जिला खनन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय

जिलाधिकारी

गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक:- 627/खनिज लिपिक/गौतमबुद्धनगर/2017

दिनांक:- 13/09/2017

प्रतिलिपि:

- 1 निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
- 2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
- 3 प्रभारी अधिकारी खनिज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4 उप जिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी जिला गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक- 904/एस0टी0/दिनांक-25.03.2014 द्वारा गठित टास्क फोर्स के साथ निरीक्षण कर शर्तों/प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।
- 5 जिला खनन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि अनुज्ञा पत्र में स्वीकृत के दौरान समय अन्तराल पर निरीक्षण कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करे।
- 6 संबंधित थानाध्यक्ष, जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 7 M/S Gulshan Homes And Infrastructure Pvt Ltd हेतु अनुपालनार्थ।



जिला खनन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

For Gulshan Homes And Infrastructure Pvt. Ltd.

Authorised Signatory